FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बयाना

किस्म मुकदमा गजराज सिंह बनाम विजेन्द्र वगैरा नं. सन 55/17

धारा 188 RT Act

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/5/17	दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब हो। पत्रावली दिनांक 27/7/17 को पेश हो। [illegible]	
29/7/17	आज पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई [illegible] पत्रावली दि० 25/8/17 को पेश हो। [illegible] [illegible] [illegible]	
28/8/17	प्रकरण दिनांक 25/8/17 को अवकाश घोषित के कारण आज पेश हुआ। तामील [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली दिनांक 5/10/17 को पेश हो। [illegible]	
5/10/17	वकील वादी उप०। तामील दिनांक 25/8/17 [illegible] किया। प्रतिवादी [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] वादी [illegible] [illegible] उप० नहीं हो रहे हैं। [illegible] एक तरफा कार्यवाही [illegible] [illegible] 6,7 की [illegible] पत्रावली वास्ते [illegible] 6,7 हेतु दिनांक 13/12/17 को पेश हो। [illegible]	

7.7.22

पीठासीन अधिकारी [illegible] हैं
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20.10.22 को पेश हो।

रीडर
एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बयाना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
	से कोई उज्र नहीं। अतः प्रकरण अर्जी जेरपर अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता। प्रकरण फैजल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। पुनश्च - प0 वादी उप0 / प0 वादी जानिब वादी हेतु पुनः निवेदन किया है अतः 200 रु0 कास्ट पर अन्तिम मौका दिया जाकर पत्रावली वास्ते कास्ट अदायगी व साक्ष्य दि0 5/9/25 को पेश हो।
5/9/25	प्रकरण पेश हुआ। प्रकरण में प0 वादी अनु0। न्यायालय द्वारा जो प्रकरण के सम्बन्ध में बार-बार आवाज लगवाई गई। आवाज उपरान्त भी कोई उप0 नहीं। अतः प्रकरण अर्जी जेर पर अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैजल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।